



झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,

प्रधान कार्यालय, "सहकार भवन, झालावाड़" एन.एच-52, झालरापाटन-326023

क्रमांक:-जेकेएसबी/फा.()ले.एवं वि./2025-26/1334-35 दिनांक:-



- 9 JUL 2025

:: कार्यालय आदेश ::

बैंक आदेश क्रमांक 366-67 दिनांक 01.05.2025 में आशिक संशोधन करते हुये अमानतों पर देय ब्याज दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है जो दिनांक 15.07.2025 से प्रभावी रहेगी-

क्र.स.	अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत में)
1	7 दिवस से 14 दिवस	4.00
2	15 दिवस से 29 दिवस	4.30
3	30 दिवस से 45 दिवस	4.50
4	46 दिवस से 90 दिवस	5.00
5	91 दिवस से 179 दिवस तक	5.50
6	180 दिवस से 270 दिवस तक	6.10
7	271 दिवस से 1 वर्ष से कम तक	6.25
8	1 वर्ष से 3 वर्ष तक	6.90
9	455 दिवस पर	7.00
10	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	6.75
11	5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक	6.75

नोट:-

1. बचत खातों पर 3.00% वार्षिक एवं 1.00 लाख से अधिक जमा पर 4.00% वार्षिक ब्याज दर देय होगी।
2. बैंक स्टॉफ के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपरोक्त दरों से 1.00% ब्याज दर अधिक देय होगी।
3. 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रु. 10,000/- या इससे अधिक न्यूनतम 1 वर्ष की मियादी एवं मासिक आवर्तक जमाओं पर ही उपरोक्त ब्याज दरों से 0.50% अधिक ब्याज दर देय होगी।
4. समय पूर्व अमानतों के भुगतान पर जमा अवधि पर लागू ब्याज दर से 1.00% कम ब्याज दिया जावेगा।
5. 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ तक की मियादी अमानत जमा कराने पर 1 वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्लेब पर 0.05% अधिक ब्याज दर देय होगी।
6. 2.00 करोड़ से अधिक की मियादी अमानत जमा कराने पर 1 वर्ष से अधिक के प्रत्येक स्लेब पर 0.10% अधिक ब्याज दर देय होगी।

क्रमांक : 1334-35

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिशाषी अधिकारी/ अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
2. वरि० प्रबंधक ()/प्रबंधक/कार्यवाहक प्रबंधक, प्रधान कार्यालय।
3. वरि० कम्प्यूटर प्रोग्रामर, प्रधान कार्यालय को भेजकर निर्देश है कि उक्त आदेश की पालना में दिनांक 15.07.2025 से सीबीएस के अन्तर्गत अमानतों की ब्याज दरें संशोधित करावें।
4. शाखा प्रबंधक, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, शाखा:- समस्त।

प्रबन्ध निदेशक

दिनांक :

- 9 JUL 2025

वरि० प्रबंधक(लेखा एवं वित्त)